न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 17/2017 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. गुड्डी कंवर राजपूत पत्नि स्व. विजयसिंह राजपूत
2. जितेन्द्रसिंह राजपूत पुत्र स्व. विजयसिंह राजपूत
3. दिलीपसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह राजपूत
4. कुलदीपसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह राजपूत

समस्त जाति राजपूत निवासी उनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामफूल प्रजापत पुत्र लहरी प्रजापत जाति कुम्हार निवासी उनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा।
2. अलॉटमेन्ट कमेटी अलॉटमेन्ट अधिकारी बांदीकुई एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा।
3. तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जेर धारा 14(4) राज. लै. रे. एक्ट बाबत निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 5.2.2013)

उपस्थिति : श्री गिरिराज प्रसाद सैन अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री छोटेलाल सैनी अधिवक्ता अप्राथी सं. 1 अनुपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—:निर्णयः— दिनांकः 13.09.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम उनबडागांव तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नं. 645 रकबा 0.13 है., जिसके हाल नये खसरा नं. 288 मिन कायत हुए है। इसमे से 0.10 है. भूमि एवं और भी भूमि सम्मिलित करते हुए खसरा नं. 644 व 645 पर प्रार्थीगण काबिज थे। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर करीबन 50 वर्षो से काश्त करते हुए काबिज चले आ रहे है व लाखों रूपयों की लागत लगाकर भूमि मुतदाविया को प्रार्थीगण ने काबिज काश्त बनाया है। इसमे से 0.10 है. भूमि अप्रार्थी नं. 1 के नाम दिनांक 5.2.2013 को आवंटन कर दी गई। उक्त आवंटन से क्षुब्ध होकर प्रार्थीगण ने उक्त आवंटन आदेश दिनांक 5.2.2013 को निरस्त करवाने एवं भूमि मुतदाविया को पुनः सिवायचक सरकारी भूमि घोषित करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति. जिला कलेक्टर
दौसा

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम उनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि आवंटन बाबत् न तो कोई घोषणा जारी की गई और न ही आवंटन कमेटी का गठन किया गया एवं आवंटन कमेटी ने गुपचुप में प्रार्थीगण के कब्जेशुदा खसरा नं. 645 में 0.10 है. भूमि का गलत तरीके से आवंटन कर दिया। आवंटनशुदा भूमि पर प्रार्थीगण पचास वर्षो से काबिज होकर काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है। दिनांक 5.2.2013 को भूमि खाली नहीं थी एवं मौके पर प्रार्थीगण की काश्त की हुई फसल खडी हुई थी। आवंटी द्वारा जो प्रार्थना पत्र आवंटन हेतु पेश किया गया वह सही तरीके से नहीं भरा गया एवं उस दिन आवंटन कमेटी का कोरम ही पुरा हुआ था, इसके बावजूद भी दिनांक 5.2.2013 को अप्रार्थी सं. 1 के नाम भूमि आवंटन कर दी गई। आवंटन के बाद गुपचुप तरीके से नामान्तरकरण सं. 735 दिनांक 22.03.2013 अप्रार्थी सं 1 के नाम खातेदारी का तस्दीक कर दिया गया एवं अप्रार्थी सं. 1 के नाम खाता सं. नया 174 पुराना एक के तहत खातेदारी दर्ज कर दी और इसका अलग से खसरा नम्बर 2584/645 रकबा 0.10 है. कायम कर दिया। जबकि गैर खातेदारी का नामान्तरकरण 645/2584 का खोला गया था और खातेदारी 2584/645 पर दे दी गई। कानूनन भूमिहीन व्यक्ति को व बी.पी.एल. परिवार के सदस्य व भूतपूर्व सैनिक, अनूसूचित जाति एवं जनजाति, विकलांग, आस्था कार्डधारी, दस्तकार व विधवा को ही आवंटन किया जा सकता है। अप्रार्थी सं. 1 किसी भी तरह आवंटन का पात्र नहीं था। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम दिनांक 5.2.2013 को किये गये आवंटन आदेश निरस्त कर भूमि मुतदाविया को पुनः सिवायचक सरकारी भूमि घोषित किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

जवाब बहस में राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि यदि सैटलमेन्ट विभाग ने भूमि की किस्म की गलत एन्ट्री की है तो प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में दावा करना चाहिए था। अधिवक्ता प्रार्थीगण का कहना है कि अप्रार्थी के पास पहले से ही चाही भूमि थी, यदि अप्रार्थी भूमिहीन नहीं है तो प्रार्थीगण को उसका रिकॉर्ड प्रस्तुत करना चाहिए था। अप्रार्थी सं. 1 को जो भूमि अलॉट की गई है वह सिवायचक भूमि रही है। आवंटन की प्रक्रिया नियमानुसार सही तरीके से की गई है। प्रार्थीगण ने 17 वर्ष बाद अपील प्रार्थना पत्र दायर किया है। यह अपील अवधिपार है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली प्रकार से अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आंवटी के नाम खातेदारी का नामान्तरकरण खुलने के उपरान्त खातेदारी अधिकार मिल चुके है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि आवंटी के पास पहले से भूमि थी ,आवंटी भूमिहीन नहीं था किन्तु उसके समर्थन में ऐसा कोई रेकार्ड या दस्तावेजात पेश नही किये है जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी के पास पहले से भूमि हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official